



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 19 अप्रैल, 2018 ई0
चैत्र 29, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 189/XXXVI(3)/2018/31(1)/2018
देहरादून, 19 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड विविध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018’ पर दिनांक 18 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 21 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विविध विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 21, वर्ष 2018)

दून विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2005), उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 23 वर्ष 2005) एवं श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2011) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:-

- | | | |
|--|-------|--|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. | (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विविध विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 है। |
| | (2) | यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। |
| उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2005 की धारा 14 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन | 2. | दून विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 14 की उपधारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्: |
| | 14(1) | राज्य सरकार द्वारा कुलसचिव, उपकुलसचिव, और सहायक कुलसचिव की नियुक्ति "केन्द्रीयकृत सेवानियमावली," के माध्यम से ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसा विहित किया जाय। |
| उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 23 वर्ष 2005 की धारा 13 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन | 3. | उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 13 की उपधारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्: |
| | 13(1) | राज्य सरकार द्वारा कुलसचिव, उपकुलसचिव, और सहायक कुलसचिव की नियुक्ति "केन्द्रीयकृत सेवानियमावली" के माध्यम से ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसा विहित किया जाय। |

उत्तराखण्ड
अधिनियम संख्या 22
वर्ष 2011 की धारा
14 की उपधारा (2)
का निरसन

4. श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
अधिनियम, 2011 की धारा 14 की उपधारा
(2) एतद्वारा निरसित की जाती है।

आज्ञा से,
मीना तिवारी,
प्रमुख सचिव।

No. 189/XXXVI(3)/2018/31(1)/2018

Dated Dehradun, April 19, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Miscellaneous University (Amendment) Act, 2018' (Adhiniyam Sankhya: 21 of 2018).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 18 April, 2018.

**The Uttarakhand Miscellaneous University (Amendment)
Act, 2018**

(Uttarakhand Act No. 21 of 2018)

further to amend the Doon University Act, 2005 (Uttarakhand Act no 18 of 2005), Uttarakhand Open University Act, 2005 (Uttarakhand Act no 23 of 2005) and Sri Dev Suman Uttarakhand Universtiy Act, 2011 (Uttarakhand Act no 22 of 2011).

AN

ACT

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty-ninth year of the Republic of India-

**Short Title and
Commencement**

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand State University (Amendment) Act, 2018.
(2) It shall come into force from the date of Notification by the State Government.

Substitution of
subsection (1) of
section 14 of the
Uttarakhand
Act no 18 of
2005

2. In the Doon University Act, 2005 subsection (1) of section 14 shall be substituted as follows, namely-

14(1) Registrar, Deputy Registrar and Assistant Registrar shall be appointed by The State Government through "Centralised service Rules" in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.

Substitution of
subsection (1) of
section 13 of the
Uttarakhand
Act no 23 of
2005

3. In the Uttarakhand Open University Act, 2005, subsection (1) of section 13 shall be substituted as follows, namely-

13(1) Registrar, Deputy Registrar and Assistant Registrar shall be appointed by The State Government through "Centralised service Rules" in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.

Repeal of
Subsection (2)
of Section 14 of
the
Uttarakhand
Act No 22 of
2011

4. Subsection (2) of Section 14 of the Sri Dev Suman Uttarakhand University Act, 2011 is hereby repealed.

By Order,

MEENA TIWARI,
Principal Secretary.